

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)

अनवधान  
धनश्याम सारस्वत निवासी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा  
बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :- 08/2024  
जीसीएमएस नं. :- 2024/3

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19-3-24	<p>1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित ।</p> <p>2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 29.11.2023 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू-अभिलेख अनुभाग) भीलवाड़ा से चाही गई थी, परन्तु रेस्पोंडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोंडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है ।</p> <p>3. लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू-अभिलेख अनुभाग) एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा ने जरिये पत्रांक / भू.अ. / आरटीआई / 2024 / 66434 दिनांक 28.02.2024 से न्यायालय को प्रत्युत्तर एवं अपीलार्थी / प्रार्थी को सूचना प्रेषित की गई ।</p> <p>4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया । लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू-अभिलेख अनुभाग) भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति / प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है । ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है । ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है ।</p> <p>5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है । लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू-अभिलेख अनुभाग) भीलवाड़ा द्वारा प्रार्थी के आवेदन पत्र का सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत नियत समयावधि में निस्तारण नहीं किया गया है । अतः लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू-अभिलेख अनुभाग) भीलवाड़ा को सख्त हिदायत दी जाती है कि भविष्य में इस प्रकार की तापरवाही न की जावे और आपको प्राप्त आवेदन पत्रों का समय पर निस्तारण करें</p> <p>6. निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे । पत्रावली शुमार फ़ैसल होकर दाखिल दफ्तर हो ।</p> <p>7. निर्णय आज दिनांक 19-3-24 को लिखवाया जाकर कर सरे इजलास सुनाया गया ।</p>	

रश्मि मेहता  
प्रथम अपीलीय अधिकारी  
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा